



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3958]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 4, 2018/ आश्विन 12, 1940

No. 3958]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 4, 2018/ASVINA 12, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2018

का.आ. 5137(अ).—मंत्रालय की प्रारूप अधिसूचना का.आ. 2636 (अ), दिनांक 28 जुलाई, 2016, के अधिक्रमण में, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य, कर्नाटक राज्य के कलाबुर्गी जिले के चिंचोली तालुक में स्थित है और यह 134.88 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो पाँच खंडों अर्थात् खंड 1 से खंड 5 तक मिलकर बना है।

और, यह अभयारण्य चन्द्रपाली बांध के मुख्य स्रोत सारनदी (येतीपोतानाला) जो बाद में मुल्लामारी नदी में मिलती है, के महत्वपूर्ण बारहमासी धाराओं और सहायक नदियों का जलग्रहण क्षेत्र भी है;

और, चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य विविध वनस्पतियों और जीवजंतुओं का पर्यावास है। वनस्पतियों में प्रजातियां - अकाकिया लेट्रोनाम, अकासिया नीलोटिका, अकाकिया चंद्रा, अकाकिया कैटेचु, अकाकिया फेरबिनिया, अल्बिज़िया अमारा, अल्बिज़िया लेबेक, अनाकार्डियम ओसीडेंटेल, एनोइसेस लैटिफोलिया, अज़ादिराचता इंडिका, एलोवेरा, बौहिनिया रेसमोसा, बुटीया मोनोस्पर्मा, बॉम्बेक्स मालाबारिकम, कैसिया फिस्टुला, केयर्पा अबॉरिया, कैरिसा कारंडस, डेलबर्गिया सिससु, डेलबर्गिया लैटिफोलिया, डेलोनिस रेजीया, डेंडरोकेलेमस स्ट्रीक्टस, डोडोनिया विस्कोस, एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस, युकोलाप्टस एसपीपी., फिकस बेंगलेंसिस, फिकस ग्लोमेराटा, फिकस रेलिगिओसा, गुविया टिलियाफोलिया, गोमेलिना अबॉरिया, हार्डविकिया बिनटा, होलोप्टेलिया इंटरग्रिफोलिया, लेगेस्ट्रोमिया परविफ्लोरा, मंगीफेरा इंडिका, मिशेलिया चंपका, पटरोकर्स मर्सुपियम, पोंगामिया पिनाटा, प्रोसोपिस जुलीफ्लोरा, समानिया सामन, सैंटलम एल्बम, सिजीगियमकुमीनी, तामारिन्डस इंडिका, टेक्टोना ग्रैंडिस, टर्मिनलिया चेबुला, टर्मिनलिया अर्जुन, टर्मिनलिया बेलेरिका, जिज़िफुस्सिलो कार्पस, जिज़िफस जुजुबा आदि शामिल हैं;

और, अभयारण्य में पाए गए स्तनधारियों में काला हिरण, सामान्य लंगूर, सामान्य लोमड़ी, लकड़बग्घा, पैथर (तेंदुआ), खरगोश, भारतीय साही, भारतीय भेड़िया, सियार, जंगल बिल्ली, चूहा, नेवला, चित्तीदार हिरण, जंगली भालू आदि पाये जाते हैं। इसके अलावा चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य में जैसे एश वेन वार्बलर, ब्लैक ड्रॉन्गो, ब्लैक विंगड काइट, ब्लॉसम हेडेड पैराकिट, ब्लू कबूतर, ब्लू जे, ब्लैक हेड ऑरियोल, आम वीवर पक्षी, चेस्टनट बेलीड नट-हैच, सामान्य मैना, क्रो फिजेंट, कॉमन हॉक, मवेशी इगरेट, कॉमन पीफौल, कॉमन किंगफिशर, ग्रे बब्बलर, ग्रे वागटेल, ग्रे जंगल फॉउल, ग्रेट हॉर्नड, ग्रे पैट्रिज, गोल्डन बैकड बुड पिकर, भारतीय रॉबिन, जंगल बाबलर, कोयल, लूगर फाल्कन, मुनिया, पाइड वागटेल, पारिया काइट, रेड वेंटल बुलबुल, रेड कल्लुए कबूतर, रोज रिंगेड पैराकिट, व्हिस्लिंग थ्रस आदि जीवजंतु हैं;

और, अभयारण्य में पाए गए सरीसृपों में कोबरा, गिरगिट, गार्डन छिपकली, करैत, मांनटर छिपकली, पायथन, चूहा सांप, वाइपर, कल्लुआ इत्यादि शामिल हैं।

और, चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर शून्य (अंतरराज्यीय सीमा के कारण) किलोमीटर से 9.8 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य, पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका ब्यौरे निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर शून्य किलोमीटर से (अंतरराज्यीय सीमा के कारण) 9.8 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 165.28 वर्ग किलोमीटर है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के संरक्षित क्षेत्र का मानचित्र **उपाबंध II** पर है।

(4) संरक्षित क्षेत्र की सीमा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध III (क)** और **(ख)** में दी गई है।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची भू-निर्देशांकों के साथ मुख्य अवस्थान **उपाबंध IV (क)** **(ख)** **(ग)** और **(घ)** के रूप में उपाबद्ध है।

2. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना**-(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुरूप बनाई जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजनायें पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार की जायेगी:

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज;
- (xi) लोक निर्माण विभाग;
- (xii) राजमार्ग;
- (xiii) कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों व्यवस्था की जाएगी के सुधारक को जिससे कि वे अधिक दक्ष और पर्यावरण अनुकूल बन सके।

(5) आंचलिक महायोजना में वन-रहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है,।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामीण और शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्रों के साथ निर्धारण किया जाएगा। इस योजना में विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्र भी दिए जायेंगे।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा तथा इस अधिसूचना के पैरा 4 में तालिका में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा तथा स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास सुनिश्चित तथा संवर्धित किया जायेगा। .

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

(9) आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि निगरानी के अपने कर्तव्यों का इस अधिसूचना के अनुसार निर्वहन कर सके।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय:- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) भू-उपयोग:

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, उद्यानों तथा मनोरंजन के लिए चिन्हित किए गए खुले स्थानों का बड़े वाणिज्यिक और आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा:

(ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे कि:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का निर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार और स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह-वास; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और पैरा-4 में वर्णित क्रियाकलाप :

(ग) परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों का अनुपालन किए बिना तथा संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों अथवा तत्सम्य प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

(घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्तर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि की, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जायेगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।

(ङ) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि के सुधार में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(च) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करके पर्यावासों एवं जैव विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान करके उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा दिशानिर्देश इस रीति से बनाए जाएंगे कि उसमें इन क्षेत्रों या इनके आसपास के क्षेत्रों के लिए हानिकारक विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध किया गया हो।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन** – (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देने वाले राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/रिजॉट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिज़र्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबंधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**- तमिलनाडु राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बने ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण संबंधी विनियमों को लागू करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट**- ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन**: - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन:** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट:**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात:**- सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण:**- वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां:** - (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण:** - पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

(18) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले क्रियाकलापों, जिनमें घरों के निर्माण या मरम्मत और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईंटें बनाने हेतु जमीन की खुदाई शामिल है, को छोड़कर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोड़ने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती है; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के

		मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किए जाएंगे।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना हैं।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी। जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तथापि, घरेलू छोटी किराने की दुकानों आदि को संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किमी के भीतर अनुमति दी जानी चाहिए।
3.	थर्मल और बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिल स्थापित करना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईट भट्टों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
8.	होटलों और रिजॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिजॉर्टों की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी। परंतु स्थानीय निवासियों की आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों को, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी जैसे कि:- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण करना; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों की स्थापना; (iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योगों, सुविधा भण्डारों और ग्रह वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाओं की व्यवस्था; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप।

		(ख) परन्तु गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ग) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
10.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होंगे।
11.	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
12.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने और तार-बिछाने एवं अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
13.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किये जायेंगे।
14.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किये जायेंगे।
15.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
16.	पर्वतीय ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
17.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
18.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
19.	प्राकृतिक जल निकासों या भू क्षेत्र में उपचारित/अपशिष्ट जल बहिष्काव का निस्सारण।	जल निकासों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिष्काव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/ बहिष्काव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
20.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक दोहन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
21.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
22.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
23.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
24.	पारिस्थितिकी-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
ग. संबंधित क्रियाकलाप		
27.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
28.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
29.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

30.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. निगरानी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए एक मानीटरी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-

1. प्रादेशिक आयुक्त, कालाबर्गी - अध्यक्ष;
2. माननीय सदस्य, विधान सभा, चिंचोली विधान सभा क्षेत्र - सदस्य;*
3. पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि - सदस्य;
4. शहरी विकास विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि - सदस्य;
5. कर्नाटक सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले, जिसके अंतर्गत वन्यजीव संरक्षण भी है, गैर सरकारी संगठन का नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक प्रतिनिधि - सदस्य;
6. राज्य सरकार द्वारा नामित जैव विविधता का एक विशेषज्ञ - सदस्य;
7. पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र से कर्नाटक सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक विशेषज्ञ - सदस्य;
8. राज्य लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि - सदस्य;
9. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि - सदस्य;
10. उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि, कालाबर्गी जिला - सदस्य;
11. उप वन संरक्षक, कालाबर्गी प्रभाग, कालाबर्गी - सदस्य सचिव।

*(इस शर्त के अधीन रहते हुए कि कर्नाटक सरकार अन्य बातों के साथ सुसंगत अनुमोदन अभिप्राप्त करेगी, जिसके अंतर्गत कर्नाटक विधान सभा के सभापति की अनुज्ञा भी है, यदि अपेक्षित हो तो)

6. विचारार्थ विषय:-

- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।
- (2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और तत्पश्चात् निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।
- (3) निगरानी समिति वास्तविक विशिष्ट दशाओं के आधार पर उन क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्तर्गत आते हैं। इनमें वे क्रियाकलाप शामिल नहीं हैं जो इस अधिसूचना के पैरा 4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट हैं तथा जिन्हें केन्द्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के लिए भेजा गया है।
- (4) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं, परन्तु जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आते हैं, उनकी, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल विशिष्ट दशाओं के आधार पर, निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जायेगी और उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जायेगा।
- (5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित आयुक्त या संबंधित कार्य प्रभारी इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को प्रत्येक मामले में आवश्यकता अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्यवाही रिपोर्ट राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध VI** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन होंगे।

[फा. सं. 25/10/2016-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चंद्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी

उपाबंध।


संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

उत्तर	रेखा बिदर वन प्रभाग के चन्गलेर आरक्षित वन की पश्चिमी सीमा के साथ निर्देशांक पू 77.342137 उ 17.58734 के बिंदु के साथ आरंभ होकर और चन्गलेर वन सर्वे सं. 59 की सीमा के साथ पू 77.369357 उ 17.605204 के साथ बिंदु पहुँचती है सीमा के साथ जाती है और उसी वन सर्वे सं. 31 भू-भाग के पू 77.390256 उ 17.628246 के बिंदु के साथ पहुँचकर जो बिंदु का उत्तरी मुख्य सिरा है, इसके बाद रेखा दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर और उसी वन के उत्तरी सीमा के साथ जाती है और पू 77.413905 उ 17.616382 के साथ करवाकापल्ली ग्राम सर्वे सं. 63 के भू-भाग बिंदु पहुँचकर और दक्षिण की ओर जाती है फिर यह वन सीमा के सैयदापुर ग्राम सर्वे सं. 58 के निर्देशांक पू 77.406753 उ 17.594797 के साथ बिंदु पहुँचती है। इसके बाद रेखा पूर्वी भाग की ओर मुड़कर और काराकानाहल्ली वन सर्वे सं. 82 सीमा के बिंदु पहुँचती है और पुनः यह बिंदु के निर्देशांक पू 77.447229 उ 17.582405 तक जाती है जो चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य खण्ड-1 का बिंदु भी है। इसके बाद रेखा दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर और खण्ड-1 की सीमा के साथ जाती है और उसी खण्ड के अंतिम बिंदु पहुँचती है। इसके बाद रेखा उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर और चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य खण्ड-2 की सीमा के साथ मुड़कर और संगापूर वन सीमा के निर्देशांक पू 77.508106 उ 17.541541 बिंदु के साथ पहुँचती है। इसके बाद रेखा पूर्वी दिशा में मुड़कर और कर्नाटक और तेलंगाना की अंतर-राज्य सीमा के साथ जाती है और धरमसागर और वेंकटापुर अवर्गीकृत वन सीमा के निर्देशांक पू 77.579788 उ 17.557373 के बिंदु के साथ पहुँचती है। इसके बाद रेखा दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़कर और निर्देशांक 77.575429 देशांतर 17.530521 अक्षांश के बिंदु के पहुँचती है। इसके बाद रेखा वेंकटापुर वन की सीमा के साथ जाती है फिर यह निर्देशांक पू 77.595970 उ 17.560747 की बिंदु तक पहुँचती है। इसके अतिरिक्त, रेखा कर्नाटक और तेलंगाना की अंतर-राज्य सीमा के साथ पूर्वी भाग में जाती है फिर यह निर्देशांक पू 77.690411 उ 17.509890 बिंदु के साथ पहुँचती है।
पूर्व	बिंदु के ऊपर से रेखा आरंभ होकर और कर्नाटक एवं तेलंगाना की अंतर-राज्य सीमा के साथ दक्षिणी भाग में जाती है यह मगदामपुर ग्राम के बिंदु के साथ निर्देशांक पू 77.689816 उ 17.474358 पहुँचती है।
दक्षिण	बिंदु के ऊपर से रेखा पश्चिम दिशा में निर्देशांक पू 77.689816 उ 17.474358 बिंदु के साथ आरंभ होकर और चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य खण्ड-IV के साथ मुड़कर यह निर्देशांक पू 77.653649 उ 17.481781 के साथ बिंदु पहुँचती है। इसके बाद रेखा उत्तरी दिशा में मुड़कर और मगदामपुर ग्राम की सीमा के साथ निर्देशांक पू 17.658223 उ 7.505355 के बिंदु पहुँचती है। इसके बाद रेखा दक्षिणी भाग की ओर मुड़कर और पुनः यह पोचावरम ग्राम की सीमा के साथ निर्देशांक पू 77.644213 उ 17.475911 बिंदु के साथ पहुँचती है। इसके बाद रेखा पोचावरम-कोंचावरम ग्राम की सीमा के

	<p>निर्देशांक पू 77.634886 उ 17.472413 बिंदु के साथ होते हुए जाती है यह कोंचावरम ग्राम की सर्वे सं. 63 पहुँचती है। इसके बाद रेखा कोंचावरम की ग्राम सीमा के साथ पश्चिमी भाग में जाती है यह चिंदातूर ग्राम सर्वे सं. 92 एवं 93 के निर्देशांक पू 77.617034 उ 17.473107 अक्षांश बिंदु के साथ पहुँचती है। इसके बाद रेखा जिलवारशा ग्राम सर्वे सं. 20, 21, 22, 24, 5, 9, 10 के साथ और जिलवारशा के नाला के साथ दक्षिण पश्चिम की ओर जाती है। इसके बाद रेखा जिलवारशा ग्राम के सर्वे सं. 238, 237, 100, 94 से होते हुए और निर्देशांक पू 77.591594 उ 17.450808 बिंदु के साथ पहुँचती है। इसके बाद रेखा जिलवारशा ग्राम की सीमा के साथ पश्चिमी भाग की ओर जाती है और इसके अतिरिक्त शादीपुर ग्राम सर्वे सं. 125, 77, 76, 75, 74 (72 भाग) 29/क, 29/1, 29/24, 29/19, 29/18, 29/17, (29/15 भाग) 40, 38 से होते हुए और शादीपुर ग्राम के नाला पहुँचती है। इसके बाद रेखा शादीपुर सर्वे सं. 18 से होते हुए यह निर्देशांक पू 77.549104 उ 17.468089 बिंदु के साथ पहुँचती है। इस बिंदु से रेखा शादीपुर ग्राम की सर्वे सं. (113 भाग) (199 भाग), 118, 108/113, 108/114, 108/106, 108/53, 108/45, 108/40 के साथ दक्षिणी दिशा में जाती है यह निर्देशांक पू 77.546001 उ 17.442623 बिंदु के साथ पहुँचती है। इसके बाद रेखा कर्नाटक एवं तेलंगाना राज्यों की अंतर-राज्य सीमा के साथ पश्चिमी भाग की ओर जाती है यह निर्देशांक पू 77.514238 उ 17.429591 पहुँचती है। इसके बाद रेखा दक्षिणी भाग की ओर मुडकर और इसके अतिरिक्त दक्षिण-पूर्व की ओर मुडकर यह चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य के निर्देशांक पू 77.538770 उ 17.405659 बिंदु के साथ पहुँचती है। इसके बाद रेखा पुनः यह मिरियम ग्राम के निर्देशांक पू 77.519937 उ 17.385802 अक्षांश पहुँचती है।</p>
पश्चिम	<p>बिंदु के ऊपर से रेखा मिरियम ग्राम के सर्वे सं. (134 भाग) 119, 118, 24, 25, 26, 30, 4, 5, 6, 7, 8 से होते हुए जाती है यह कल्लुर सड़क, सर्वे सं. 58 के निर्देशांक पू 77.491831 उ 17.392256 बिंदु के साथ कल्लुर ग्राम के नाला पहुँचती है। इसके बाद रेखा सर्वे सं. 89, 41, 40, 45, 35, 29, 27, 20 से होते हुए जाती है और सोमालीगदाल्ली के नाला पहुँचती है। इसके बाद रेखा सोमालीगदाल्ली ग्राम सर्वे सं. 19, 18, 5 से होते हुए यह निर्देशांक पू 77.477334 उ 17.416241 बिंदु के साथ पहुँचती है। इसके अतिरिक्त, रेखा सर्वे सं. 9 से होते हुए और चिक्कलीगदाल्ली ग्राम की सर्वे सं. 24 से होते हुए जाती है। इसके बाद रेखा चिक्कलीगदाल्ली के सर्वे सं. 23, 22, 91, 78, 79, 80, 75, 74, 73/2 से होते हुए जाती है। इसके बाद उत्तर-पश्चिम दिशा में जाती है और सर्वे सं. 107, 123, 122, 121, 120, 113, 114 से होते हुए यह निर्देशांक पू 77.452466 उ 17.446609 अक्षांश बिंदु के साथ कलभावी ग्राम की सर्वे सं. 115 पहुँचती है। इसके बाद रेखा उत्तरी दिशा में जाती है और कलभावी ग्राम के सर्वे सं. 117, 16, 17, 18, 47, 48, 49, 55 से होते हुए जाती है। इसके बाद रेखा इसके अतिरिक्त भोगलीगदाल्ली ग्राम की सर्वे सं. 58, 59, 52, 51, 40, 39, 38, 37, 72, 73, 70 से होते हुए जाती है। इसके बाद रेखा इनोल्ली ग्राम के सर्वे सं. 120, 119, 117/1 से होते हुए यह निर्देशांक पू 77.4716121 उ 17.1491508 बिंदु के साथ पहुँचती है। इसके अतिरिक्त, रेखा इंसोले ग्राम के सर्वे सं. 127, 126, 125, 130, 132, 57, 166, 147, 146, 86 से होते हुए उत्तर-पश्चिम की ओर जाती है। रेखा इसके अतिरिक्त इंसोले ग्राम समीप सड़क के साथ जाती है और इंसोले धारा और इसके अतिरिक्त रेखा पथेपुर ग्राम की सर्वे सं. 36, 33, 31, 30, 29 पहुँचती है और रेखा कोल्लुर ग्राम की सर्वे सं. 203, 202, 198, 197, 194, 191, 154, 9, 10, से होते हुए जाती है। इसके बाद रेखा नगाइदलाइ ग्राम की सर्वे सं. 131, 141, 140/1, 139, 150, 139, से होते हुए जाती है। इसके बाद रेखा सर्वे सं. 152, 153, 117, 88, 89, 91, 84, 83, 53 (7 भाग) से होते हुए उत्तरी भाग जाती है और इसके अतिरिक्त नगाइदलाइ ग्राम के सर्वे सं. 53 से होते हुए जाती है यह निर्देशांक पू 77.406737 उ 17.576398 बिंदु के साथ पहुँचती है। इसके बाद रेखा दक्षिण की ओर जाती है और यह पश्चिम दिशा की ओर मुडकर यह निर्देशांक पू 77.380054 उ 17.577700 बिंदु के साथ पहुँचती है। इसके अतिरिक्त, रेखा टुमाकुन्ता ग्राम की सर्वे सं. 24 एवं 25 से होते हुए दक्षिणी दिशा में जाती है और इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन के आरंभिक बिंदु के निर्देशांक पू 77.342137 उ 17.587314 के साथ टुमाकुन्ता वन सीमा के साथ जाती है।</p>

उपाबंध II

चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध -III

सारणी क: चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य, कर्नाटक के अक्षांश-देशांतर के मुख्य अवस्थान

मानचित्र आई डी	अक्षांश			देशांतर		
	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड
1	17	27	25.18	77	27	52.26
2	17	28	44.19	77	29	6.80
3	17	30	5.79	77	28	36.58
4	17	31	56.70	77	27	52.32
5	17	32	55.40	77	28	34.46
6	17	32	0.50	77	27	5.22
7	17	33	36.45	77	25	53.80

8	17	33	34.32	77	26	55.73
9	17	34	42.42	77	26	34.45
10	17	32	29.55	77	30	29.26
11	17	33	3.68	77	33	5.23
12	17	30	58.76	77	32	48.35
13	17	31	56.81	77	35	51.80
14	17	31	52.12	77	36	51.11
15	17	29	18.08	77	37	47.34
16	17	28	21.05	77	37	2.60
17	17	31	5.46	77	37	50.65
18	17	31	13.35	77	38	29.10
19	17	29	50.09	77	38	53.51
20	17	29	47.53	77	38	11.29
21	17	29	0.84	77	39	13.89
22	17	29	17.85	77	41	12.34
23	17	30	25.00	77	40	24.62
24	17	30	9.03	77	41	33.36
25	17	27	54.06	77	36	7.87
26	17	29	20.53	77	35	58.17
27	17	29	18.53	77	32	16.41
28	17	27	19.73	77	31	53.94
29	17	27	48.55	77	34	26.54
30	17	28	0.96	77	35	13.57
31	17	28	46.01	77	34	28.12
32	17	28	48.26	77	34	53.42
33	17	24	5.34	77	30	47.34
34	17	25	25.80	77	29	39.69
35	17	26	58.70	77	29	12.04

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अक्षांश-देशांतर के मुख्य अवस्थान

मानचित्र आई डी	अक्षांश			देशांतर		
	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड
1	17	23	8.89	77	31	11.77
2	17	23	32.12	77	29	30.59
3	17	24	58.47	77	28	38.40
4	17	26	47.79	77	27	8.88
5	17	29	29.43	77	28	17.80
6	17	32	3.85	77	25	54.36
7	17	33	51.34	77	25	3.40
8	17	34	35.03	77	24	24.25
9	17	34	35.03	77	22	48.19
10	17	34	39.72	77	21	39.47
11	17	35	21.33	77	21	25.37
12	17	35	14.33	77	20	31.69
13	17	36	18.73	77	22	9.69
14	17	37	41.69	77	23	24.92
15	17	36	58.98	77	24	50.06
16	17	35	41.27	77	24	24.31
17	17	35	35.83	77	25	43.08
18	17	36	23.62	77	26	47.19
19	17	34	56.66	77	26	50.02
20	17	32	29.55	77	30	29.18
21	17	34	27.61	77	31	45.85
22	17	33	7.17	77	33	3.74
23	17	33	26.54	77	34	47.24
24	17	31	49.88	77	34	31.54
25	17	33	38.69	77	35	45.49
26	17	32	0.75	77	35	55.07
27	17	31	28.91	77	38	21.93
28	17	31	16.58	77	39	48.65
29	17	30	35.60	77	41	25.48

30	17	28	27.69	77	41	23.34
31	17	28	54.41	77	39	13.14
32	17	30	19.28	77	39	29.60
33	17	28	33.28	77	38	39.17
34	17	28	20.69	77	38	5.59
35	17	28	23.19	77	37	1.32
36	17	27	2.91	77	35	29.74
37	17	28	5.12	77	32	56.77
38	17	26	33.44	77	32	45.60
39	17	25	46.53	77	30	51.26
40	17	24	20.37	77	32	19.57

उपाबंध IV

सारणी क: भू-निर्देशांकों के साथ चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्राम क्षेत्र की सूची

मानचित्र आई डी	ग्राम के नाम	तालुक	जिला	विस्तार (हेक्टेयर में)	अक्षांश			देशांतर			टिप्पणियां
					डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	
1	मरियाना	चिंचोली	कालाबर्गी	122.97	17	23	32.27	77	31	26.84	अंश ग्राम
2	भैरामपल्ली	चिंचोली	कालाबर्गी	226.88	17	23	42.41	77	30	44.49	अंश ग्राम
3	कल्लुरा रोड	चिंचोली	कालाबर्गी	33.8	17	23	34.37	77	29	43.13	अंश ग्राम
4	सोमालिंगाधाल्ली	चिंचोली	कालाबर्गी	626.61	17	24	47.42	77	29	28.13	अंश ग्राम
5	चिक्कालिंगाधाल्ली	चिंचोली	कालाबर्गी	301.99	17	26	13.80	77	28	51.79	अंश ग्राम
6	कलभावी	चिंचोली	कालाबर्गी	477.52	17	27	24.27	77	27	44.83	अंश ग्राम
7	बोगालिंगादाहल्ली	चिंचोली	कालाबर्गी	417.26	17	28	38.93	77	28	28.02	अंश ग्राम
8	इनोल्ली	चिंचोली	कालाबर्गी	792.33	17	30	12.99	77	28	5.46	अंश ग्राम
9	चंद्रमपल्ली	चिंचोली	कालाबर्गी	301.14	17	31	22.32	77	28	4.57	अंश ग्राम
10	गोट्टामैगोट्टाके .	चिंचोली	कालाबर्गी	146.35	17	32	40.08	77	28	16.26	अंश ग्राम
11	पत्थेपुरा	चिंचोली	कालाबर्गी	38.02	17	31	13.64	77	26	24.73	अंश ग्राम
12	कोल्लुर	चिंचोली	कालाबर्गी	842.1	17	32	2.93	77	26	41.30	अंश ग्राम
13	नगाईदलाई	चिंचोली	कालाबर्गी	318.2	17	33	7.18	77	25	26.33	अंश ग्राम
14	कुसरामपल्ली	चिंचोली	कालाबर्गी	195.71	17	34	1.72	77	26	9.04	अंश ग्राम
15	मानिकपुरा	चिंचोली	कालाबर्गी	231.64	17	34	2.45	77	26	50.70	अंश ग्राम
16	कथानागिद्धा	चिंचोली	कालाबर्गी	31.43	17	34	5.17	77	31	46.64	अंश ग्राम
17	संगापुरा	चिंचोली	कालाबर्गी	188.26	17	33	33.09	77	32	19.78	अंश ग्राम

18	धरमासागर	चिंचोली	कालाबर्गी	923.85	17	31	52.01	77	32	5.78	पूर्ण ग्राम
19	कुसरामपल्ली	चिंचोली	कालाबर्गी	1924.51	17	32	23.10	77	34	21.12	पूर्ण ग्राम
20	अन्थावारम	चिंचोली	कालाबर्गी	78.71	17	31	22.52	77	35	3.42	अंश ग्राम
21	बुरागदोढी	चिंचोली	कालाबर्गी	56.39	17	29	29.25	77	33	37.69	अंश ग्राम
22	लिंगानागरा	चिंचोली	कालाबर्गी	141.23	17	31	8.09	77	37	7.79	अंश ग्राम
23	भोनसापुरा	चिंचोली	कालाबर्गी	364.13	17	30	54.23	77	38	2.53	अंश ग्राम
24	शिवरामपुरा	चिंचोली	कालाबर्गी	513.39	17	30	45.13	77	39	19.53	अंश ग्राम
25	मोगाधामपुरा	चिंचोली	कालाबर्गी	639.83	17	29	41.44	77	40	8.97	अंश ग्राम
26	पोचावराम	चिंचोली	कालाबर्गी	226.17	17	29	10.24	77	38	36.67	अंश ग्राम
27	शिवारेड्डीपल्ली	चिंचोली	कालाबर्गी	255.96	17	29	54.76	77	38	21.57	अंश ग्राम
28	कंचावराम	चिंचोली	कालाबर्गी	386.51	17	28	50.34	77	37	40.20	अंश ग्राम
29	लङ्मासागरा	चिंचोली	कालाबर्गी	123.6	17	29	41.38	77	37	32.20	अंश ग्राम
30	चिंधानुरा	चिंचोली	कालाबर्गी	426.92	17	28	38.96	77	35	34.55	अंश ग्राम
31	जिलावर्णा	चिंचोली	कालाबर्गी	431.68	17	27	32.27	77	35	44.21	अंश ग्राम
32	शादीपुरा	चिंचोली	कालाबर्गी	1613.21	17	28	2.62	77	33	16.69	अंश ग्राम
			कुल:	13398.3							

सारणी ख: चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत संलग्न ग्रामों का विवरण

मानचित्र आई डी	संलग्न के नाम	तालुक	जिला	विस्तार (हेक्टेयर में)	अक्षांश			देशांतर		
					डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड
ए	चन्द्रमपल्ली	चिंचोली	कालाबर्गी	47.71	17	31	51.10	77	29	13.43
बी	संगापुर	चिंचोली	कालाबर्गी	9.65	17	33	37.58	77	31	57.41
सी	सेरिबीकनाल्ली	चिंचोली	कालाबर्गी	25.16	17	30	29.95	77	30	33.49
डी	अन्थावरम-1	चिंचोली	कालाबर्गी	12.22	17	31	6.53	77	33	57.64
ई	अन्थावरम -2	चिंचोली	कालाबर्गी	7.39	17	30	46.26	77	33	56.10
एफ	अन्थावरम -3	चिंचोली	कालाबर्गी	181.62	17	30	30.92	77	34	54.71
जी	अन्थावरम -4	चिंचोली	कालाबर्गी	17.33	17	31	6.49	77	35	25.93
एच	मोमवापुर	चिंचोली	कालाबर्गी	21.58	17	30	15.88	77	36	17.59
आई	चिन्दानूर	चिंचोली	कालाबर्गी	193.82	17	29	8.52	77	36	23.76
जे	लछ्मसागर	चिंचोली	कालाबर्गी	7.34	17	29	51.11	77	36	35.06
के	मगदामपुर	चिंचोली	कालाबर्गी	7.4	17	30	5.58	77	40	55.13
			कुल:	531.22						

सारणी ग: पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के अंतर्गत रिजर्व वन क्षेत्रों का विवरण

क्र. सं.	रिजर्व वन के नाम	क्षेत्र हेक्टेयर में	जी.ओ/अधिसूचना संख्या
1	चानरलैर रिजर्व वन	752.05	ए एफ डी/133/ एफ ए एफ/65 दिनांक 18.03.1966
2	चिंचोली रिजर्व वन	511.76	यू/ एस 7 के एच एफ ए
कुल		1263.81	

सारणी घ: पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के अंतर्गत गैर-वर्गीकृत वन क्षेत्रों का विवरण

मानचित्र आई डी	वन का नाम	वन की श्रेणी	अक्षांश			देशांतर			क्षेत्र हेक्टेयर में
			डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	
ए	पोचावरम	गैर-वर्गीकृत वन	17	32	15.42	77	30	53.30	58.86
बी	वेंकटापुर	गैर-वर्गीकृत वन	17	32	9.41	77	34	7.26	708.69
सी	धर्मासागर	गैर-वर्गीकृत वन	17	31	29.65	77	32	39.57	568.79
कुल:									1336.34

उपाबंध IV**पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान**

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक् अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश।
5. पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st October, 2018

S.O. 5137(E).—In supersession of Ministry's draft notification S.O 2636 (E), dated 28 July, 2016, the following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Chincholi wildlife sanctuary is situated in Chincholi Taluk of Kalaburagi District of Karnataka State and is spread over an area of **134.88 square kilometres** comprising of five blocks viz, Block-I to Block-V.

AND WHEREAS, the sanctuary is also catchment of important perennial streams and tributaries of Sarnadi (Yetipothanala) the main source of Chandrampali dam which later joins the river Mullamari.

AND WHEREAS, the Chincholi Wildlife Sanctuary is home for diverse flora and fauna. The flora comprises of species like *Acacia latronum*, *Acacia nilotica*, *Acacia chundra*, *Acacia catechu*, *Acacia ferruginea*, *Albizia amara*, *Albizia lebbek*, *Anacardium occidentale*, *Anogeissus latifolia*, *Azadirachta indica*, *Aloe vera*, *Bauhinia racemosa*, *Butea monosperma*, *Bombax malabaricum*, *Cassia fistula*, *Careya arborea*, *Carissa carandus*, *Dalbergia sissoo*, *Dalbergia latifolia*, *Delonix regia*, *Dendrocalamus strictus*, *Dodonia viscosa*, *Emblica officinalis*, *Eucalyptus spp.*, *Ficus bengalensis*, *Ficus glomerata*, *Ficus religiosa*, *Grewia tiliaefolia*, *Gmelina arborea*, *Hardwickia binata*, *Holoptelia intergrifolia*, *Lagerstroemia parviflora*, *Mangifera indica*, *Michelia champaca*, *Pterocarpus marsupium*, *Pongamia pinnata*, *Prosopis juliflora*, *Samania Saman*, *Santalum album*, *Syzygiumcumini*, *Tamarindus indica*, *Tectona grandis*, *Terminalia chebula*, *Terminalia arjuna*, *Terminalia belerica*, *Zizyphusxylo carpus*, *Zizyphus jujuba* etc.,

AND WHEREAS, the mammals found in the Sanctuary are Black buck, Common langur, Common fox, Hyaena, Panther (Leopard), Hare, Indian porcupine, Indian wolf, Jackal, Jungle cat, Mice, Mongoose, Spotted Deer, Wild boar etc. Apart from this the Chincholi Wildlife Sanctuary consists of Avi fauna such as Ashy wren warbler, Black drongo, Black winged kite, Blossom headed parakeet, Blue pigeon, Blue jay, Black headed oriole, Common weaver bird, Chestnut bellied nut-hatch, Common myna, Crow pheasant, Common hawk, Cattle egret, Common peafowl, Common kingfisher, Grey babbler, Grey wagtail, Grey jungle fowl, Great horned owl, Grey partridge, Golden backed wood pecker, Indian robin, Jungle babbler, Koel, Luggar falcon, Munia, Pied wagtail, Pariah kite, Red vented bulbul, Red turtle dove, Rose ringed parakeet, Whistling thrush etc.

AND WHEREAS, the reptiles found in the Sanctuary include Cobra, Chameleon, Garden lizard, Krait, Monitor lizard, Python, Rat snake, Viper, Tortoise etc.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area around the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Chincholi Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from Ecological and Environmental point of view to protect wildlife and their habited therein or its environment and to prohibit industries or class of

industries and their operations and process in the said Eco-sensitive Zone to protect wildlife and their habitat therein or its environment;

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent varying **from zero (due to interstate boundary) kilometre to 9.8 kilometre** around the boundary of Chincholi wildlife sanctuary in the State of Karnataka as the Chincholi wildlife sanctuary (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. - (1) The extent of Eco-sensitive Zone varies **from zero (due to interstate boundary) kilometer to 9.8 kilometer** around the Chincholi wildlife sanctuary. The area of the Eco-Sensitive Zone is **165.28 square kilometers**.

(2) The boundary description of the Eco Sensitive Zone is appended at **Annexure I**.

(3) The map of the Protected Area demarcating the Eco-sensitive Zone boundary is at **Annexure II**.

(4) List of geo co-ordinates of the boundary of the Protected Area and the Eco-Sensitive Zone is at **Annexure III (A) and (B)** respectively.

(5) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure IV (A) (B) (C) and (D)**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone. - (1) The State Government shall, for the purpose of effective management of the Eco-Sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of Final Notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this Notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating environmental and ecological considerations into the said plan:

- (i) Environment;
- (ii) Forest and Wildlife;
- (iii) Agriculture;
- (iv) Revenue;
- (v) Urban Development;
- (vi) Tourism;
- (vii) Rural Development;
- (viii) Irrigation and Flood Control;
- (ix) Municipal;
- (x) Panchayati Raj;
- (xi) Public Works Department;
- (xii) Highways;
- (xiii) Karnataka State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendlier.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government. -The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely: -

(1) Land use. –

- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.
- (b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:
 - (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
 - (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
 - (iii) Small scale industries not causing pollution;
 - (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
 - (v) Promoted activities and given in paragraph 4;
- (c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):
- (d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:
- (e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.
- (f) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies. - The catchment areas of all-natural springs/rivers/channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism/ Eco-tourism.-

- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
- (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely: -
 - (i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the protected area or up to the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.
 - (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;
 - (iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site-specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

(4) Natural Heritage. -All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites. -Buildings, structures, artifacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - The Environment Department of the State Government or Karnataka State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of The Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) Air pollution. -Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made there under and amendments thereto.

(8) Discharge of effluents. - Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made there under or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes. - Disposal and Management of solid wastes shall be as under:

(a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O.

1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.** - Bio-medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification Number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of biomedical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) **Plastic Waste Management.** - The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and Demolition Waste Management.** - The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **E-waste.** - The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) **Vehicular traffic.** - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made there under.

(15) **Vehicular Pollution.** - Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) **Industrial Units.** -(i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) **Protection of Hill Slopes:** The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone:

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification,

2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) the Wildlife(Protection) Act 1972 (53 of 1972) and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals) stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bonafide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumalpd Vz. UOI in W.P. (C) No. 202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation z. UOI in W.P. (C) No. 435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
B. Regulated Activities		
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or up to the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or up to extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

		<p>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 6 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as:</p> <p>(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new road.</p> <p>(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;</p> <p>(iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016;</p> <p>(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and</p> <p>(v) Promoted activities listed in this Notification.</p> <p>(b) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations if any.</p> <p>(c) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
10.	Felling of Trees.	<p>(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.</p> <p>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.</p>
11.	Establishment of large scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws.
12.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws. Underground cabling may be promoted.
13.	Infrastructure civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
14.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
15.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law.
16.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
17.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
18.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies,	Permitted under applicable laws for use of locals.

	dairy farming, aquaculture and fisheries.	
19.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
20.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
21.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
22.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
23.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
24.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
25.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
26.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
27.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
28.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
29.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
30.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
31.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc to be actively promoted.
32.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee:-

The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), comprising of the following namely: -

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Regional Commissioner, Kalaburagi | Chairman; |
| 2. | Hon'ble Member of Legislative Assembly, Chincholi Constituency | Member; |
| 3. | Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka | Member; |
| 4. | Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka | Member; |
| 5. | A representative of Non-government Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by State Government | Member; |
| 6. | An expert in Biodiversity nominated by the State Government | Member; |
| 7. | An expert in Ecology and Environment to be nominated by the State Government | Member; |
| 8. | A representative from State Public Works Department | Member; |

9.	A representative from State Pollution Control Board	Member;
10.	Deputy Commissioner or his representative, Kalaburagi District	Member;
11.	The Deputy Conservator of Forests, Kalaburagi Division, Kalaburagi	Member Secretary.

*(Subject to the State Government of Karnataka obtaining relevant approvals inter alia including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required)

6. Terms of Reference. –

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per Performa given in **Annexure V**.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.


[F. No. 25/10/2016-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I**BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA**

North	The line starts from a point with co-ordinates E 77.342137 N 17.58734 runs along the western boundary of Changlair Reserve Forest of Bidar Forest division and reaching a Point with co-ordinates E 77.369357 N 17.605204 along the boundary of Changlair Forest Sy. No. 59 along the boundary runs and reaches a point with co-ordinates E 77.390256 N 17.628246 of the same forest Sy. No. 31 corner which is the northern most tip of the Point, then the line turns southeast and runs all along the northern boundary of the same forest and reaches corner point of Karavakapalli village Sy. No. 63 with co-ordinates E 77.413905 N 17.616382 and runs towards South till it reaches a Point with co-ordinates E 77.406753 N 17.594797 on Sydapur Village Sy. No. 58 on Forest boundary. Then line turns towards Eastern side and reaches a point of Karakanhalli Forest Sy. No. 82 boundary and continues till the point with co-ordinates E 77.447229 N 17.582405 which is also the point on the Chincholi Wildlife Sanctuary Block-I. Then the line turns southeast and runs all along the boundary of Block-I and reaches the end point of the same block. Then the line turns northeast and moves along the boundary of Chincholi Wildlife Sanctuary Block-II and reaches a point with co-ordinates E 77.508106 N 17.541541 of the Sangapur Forest boundary. Then the line runs in eastern direction and runs all along the Interstate boundary of Telangana and Karnataka and reaches a point with co-ordinates E 77.579788 N 17.557373 on Dharmasagar and Venkatapur un-classified forest boundary. Then the line runs in southwest & southeast direction and reaches a point with co-ordinates 77.575429 lat 17.530521. Then line runs along the boundary of Venkatapur Forest till reaches a point with co-ordinates E 77.595970 N 17.560747. Further, the line runs eastern side along the Inter State boundary of Karnataka &Telangana till it reaches a point with co-ordinates E 77.690411 N 17.509890.
East	From the above point the line starts and runs in southern direction along the Interstate boundary of Karnataka &Telangana till it reaches a point onMagdampur village with co-ordinates E 77.689816 N 17.474358.
South	From the above point the line starts from a point with co-ordinates E 77.689816 N 17.474358 in west direction and moves all along the Block-IV till it reaches a point with co-ordinates E 77.653649 N 17.481781. Then line turns in northern direction and reaches a point with co-ordinates E 17.658223 N 7.505355 along the boundary of Magdampur village. Then the line turns towards southern direction and continues till it reaches a point with co-ordinates E 77.644213 N 17.475911 along the boundary of Pochawaram village. Then the line runs through a point with co-ordinates E 77.634886 N 17.472413 on the boundary of Pochwaram-Konchwaram village till it reaches Sy. No. 63 of Konchwaramvillage. Then the line runs in western direction along the village boundary of Konchwaram till it reaches a point with co-ordinates E 77.617034 N 17.473107 ofChindanoor village Sy. Nos. 92 & 93. Then the line runs towards southwest along the Jilwarsha village Sy. Nos. 20, 21, 22, 24, 5, 9, 10 and along the Nala of Jilwarsha. Then the line passes through Sy. Nos. 238, 237, 100, 94 of Jiwarsa village and reaches a point with co-ordinates E 77.591594 N17.450808.

	<p>Then the line runs towards western side along the boundary of Jilwarsha village and further passes through Shadipur village Sy. Nos. 125, 77, 76, 75, 74, (72 part), 29/A, 29/1, 29/24, 29/19, 29/18, 29/17, (29/15 part), 40, 38 and reaches Nala of Shadipur village. Then line passes through Sy. No. 18 Shadipur it reaches a point with co-ordinates E 77.549104 N 17.468089. From this point the line runs in southern direction along the Sy. Nos. (113 part), (199 part), 118, 108/113, 108/114, 108/106, 108/53, 108/45, 108/40 of Shadipur village till it reaches a point with co-ordinates E 77.546001 N 17.442623. Then the line runs towards western direction along the Interstate boundary of Karnataka & Telangana States till it reaches a point with co-ordinates E 77.514238 N 17.429591. Then the line turns towards southern direction and further turns towards southeast till it reaches a point with co-ordinates E 77.538770 N 17.405659 on Chincholi Wildlife Sanctuary. Then the line continues till it reaches a point with co-ordinates E 77.519937 N 17.385802 of Miriam village.</p>
West	<p>From the above point the line passes through Sy. Nos. (134 part), 119, 118, 24, 25, 26, 30, 4, 5, 6, 7, 8 of Miriyan village till it reaches a Nala of Kallur village on a point with co-ordinates E 77.491831 N 17.392256 on Kallur Road, Sy. No. 58. Then the line passes through Sy. Nos. 89, 41, 40, 45, 35, 29, 27, 20 and reaches Nala of Somalingadalli village. Then the line passes through the Somalingadalli village Sy. Nos. 19, 18, 5 till it reaches a point with co-ordinates E 77.477334 N 17.416241. Further, the line passes through Sy. No. 9 and then passes through the Sy. Nos. No. 24 of Chikklingdalli village. Then the line passes through Sy. Nos. 23, 22, 91, 78, 79, 80, 75, 74, 73/2 of Chikkalingdalli village. Then the line runs in north western direction and passes through Sy. Nos. 107, 123, 122, 121, 120, 113, 114 till it reaches Sy. Nos. 115 of Kalbhavi village at a point with co-ordinates E 77.452466 N 17.446609. Then the line runs in northern direction and passes through the Sy. Nos. 117, 16, 17, 18, 47, 48, 49, 55 of Kalbhavi village. Then the line further passes through the Sy. Nos. 58, 59, 52, 51, 40, 39, 38, 37, 72, 73, 70 of Bhogalingdalli village. Then the line passes through the Sy. Nos. 120, 119, 117/1 of Inolli village till it reaches a point with co-ordinates E 77.4716121 N 17.1491508. Further, the line runs towards northwest direction passing through the Sy. Nos. 127, 126, 125, 130, 132, 57, 166, 147, 146, 86, of Insole village. Then the line further runs along the Insole village approach road and reaches the Insole stream and the further the line enters Sy. 36, 33, 31, 30, 29 of Pathepur village and the line then passes for about a furlong through Sy. Nos. 203, 202, 198, 197, 194, 191, 154, 9, 10, of Kallur village. Then the line passes through the Sy. Nos. 131, 141, 140/1, 139, 150, 139 of Nagaidlai village. Then the line runs in northern direction passing through Sy. Nos. 152, 153, 117, 88, 89, 91, 84, 83, 53, (7 part) and further passes through the Sy. Nos. 53 of Nagaidlai village till it reaches a point with co-ordinates E 77.406737 N 17.576398. Then the line runs towards south and it turns in westward direction till it reaches a point with co-ordinates E 77.380054 N 17.577700. Further, the line runs in southern direction through Sy. Nos. 24 & 25 of Tumakunta village and further runs along the Tumakunta Forest boundary with co-ordinates E 77.342137 N 17.587314 and reaches the starting point.</p>

ANNEXURE-II**MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF CHINCHOLI WILDLIFE SANCTUARY****ANNEXURE-III****TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Chincholi wildlife sanctuary, Karnataka**

Map id	Latitude			Longitude		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
1	17	27	25.18	77	27	52.26
2	17	28	44.19	77	29	6.80
3	17	30	5.79	77	28	36.58
4	17	31	56.70	77	27	52.32
5	17	32	55.40	77	28	34.46
6	17	32	0.50	77	27	5.22
7	17	33	36.45	77	25	53.80
8	17	33	34.32	77	26	55.73
9	17	34	42.42	77	26	34.45
10	17	32	29.55	77	30	29.26

11	17	33	3.68	77	33	5.23
12	17	30	58.76	77	32	48.35
13	17	31	56.81	77	35	51.80
14	17	31	52.12	77	36	51.11
15	17	29	18.08	77	37	47.34
16	17	28	21.05	77	37	2.60
17	17	31	5.46	77	37	50.65
18	17	31	13.35	77	38	29.10
19	17	29	50.09	77	38	53.51
20	17	29	47.53	77	38	11.29
21	17	29	0.84	77	39	13.89
22	17	29	17.85	77	41	12.34
23	17	30	25.00	77	40	24.62
24	17	30	9.03	77	41	33.36
25	17	27	54.06	77	36	7.87
26	17	29	20.53	77	35	58.17
27	17	29	18.53	77	32	16.41
28	17	27	19.73	77	31	53.94
29	17	27	48.55	77	34	26.54
30	17	28	0.96	77	35	13.57
31	17	28	46.01	77	34	28.12
32	17	28	48.26	77	34	53.42
33	17	24	5.34	77	30	47.34
34	17	25	25.80	77	29	39.69
35	17	26	58.70	77	29	12.04

TABLE B: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Eco-Sensitive Zone

Map id	Latitude			Longitude		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
1	17	23	8.89	77	31	11.77
2	17	23	32.12	77	29	30.59
3	17	24	58.47	77	28	38.40
4	17	26	47.79	77	27	8.88
5	17	29	29.43	77	28	17.80
6	17	32	3.85	77	25	54.36
7	17	33	51.34	77	25	3.40
8	17	34	35.03	77	24	24.25

9	17	34	35.03	77	22	48.19
10	17	34	39.72	77	21	39.47
11	17	35	21.33	77	21	25.37
12	17	35	14.33	77	20	31.69
13	17	36	18.73	77	22	9.69
14	17	37	41.69	77	23	24.92
15	17	36	58.98	77	24	50.06
16	17	35	41.27	77	24	24.31
17	17	35	35.83	77	25	43.08
18	17	36	23.62	77	26	47.19
19	17	34	56.66	77	26	50.02
20	17	32	29.55	77	30	29.18
21	17	34	27.61	77	31	45.85
22	17	33	7.17	77	33	3.74
23	17	33	26.54	77	34	47.24
24	17	31	49.88	77	34	31.54
25	17	33	38.69	77	35	45.49
26	17	32	0.75	77	35	55.07
27	17	31	28.91	77	38	21.93
28	17	31	16.58	77	39	48.65
29	17	30	35.60	77	41	25.48
30	17	28	27.69	77	41	23.34
31	17	28	54.41	77	39	13.14
32	17	30	19.28	77	39	29.60
33	17	28	33.28	77	38	39.17
34	17	28	20.69	77	38	5.59
35	17	28	23.19	77	37	1.32
36	17	27	2.91	77	35	29.74
37	17	28	5.12	77	32	56.77
38	17	26	33.44	77	32	45.60
39	17	25	46.53	77	30	51.26
40	17	24	20.37	77	32	19.57

ANNEXURE-IV**TABLE A: LIST OF VILLAGE AREA COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF CHINCHOLI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES**

Map id	Name of the Village	Taluk	District	Extent (Ha.)	Latitude			Longitude			Remarks
					Deg	Mins	Secs	Deg	Mins	Secs	
1	Mariyana	Chincholi	Kalaburagi	122.97	17	23	32.27	77	31	26.84	Part Village
2	Bhairampalli	Chincholi	Kalaburagi	226.88	17	23	42.41	77	30	44.49	Part Village
3	Kallura Road	Chincholi	Kalaburagi	33.8	17	23	34.37	77	29	43.13	Part Village
4	Somalingadhalli	Chincholi	Kalaburagi	626.61	17	24	47.42	77	29	28.13	Part Village
5	Chikkalingadhalli	Chincholi	Kalaburagi	301.99	17	26	13.80	77	28	51.79	Part Village
6	Kalbhavi	Chincholi	Kalaburagi	477.52	17	27	24.27	77	27	44.83	Part Village
7	Bogalingadahalli	Chincholi	Kalaburagi	417.26	17	28	38.93	77	28	28.02	Part Village
8	Inolli	Chincholi	Kalaburagi	792.33	17	30	12.99	77	28	5.46	Part Village
9	Chandrampalli	Chincholi	Kalaburagi	301.14	17	31	22.32	77	28	4.57	Part Village
10	Gottamagotta.K	Chincholi	Kalaburagi	146.35	17	32	40.08	77	28	16.26	Part Village
11	Patthepura	Chincholi	Kalaburagi	38.02	17	31	13.64	77	26	24.73	Part Village
12	Kollur	Chincholi	Kalaburagi	842.1	17	32	2.93	77	26	41.30	Part Village
13	Nagaidalai	Chincholi	Kalaburagi	318.2	17	33	7.18	77	25	26.33	Part Village
14	Kusarampalli	Chincholi	Kalaburagi	195.71	17	34	1.72	77	26	9.04	Part Village
15	Manikapura	Chincholi	Kalaburagi	231.64	17	34	2.45	77	26	50.70	Part Village
16	Kathanagidda	Chincholi	Kalaburagi	31.43	17	34	5.17	77	31	46.64	Part Village
17	Sangapura	Chincholi	Kalaburagi	188.26	17	33	33.09	77	32	19.78	Part Village
18	Dharmasagara	Chincholi	Kalaburagi	923.85	17	31	52.01	77	32	5.78	Full Village
19	Kusarampalli	Chincholi	Kalaburagi	1924.51	17	32	23.10	77	34	21.12	Full Village
20	Anthawaram	Chincholi	Kalaburagi	78.71	17	31	22.52	77	35	3.42	Part Village
21	Buragadoddi	Chincholi	Kalaburagi	56.39	17	29	29.25	77	33	37.69	Part Village
22	Linganagara	Chincholi	Kalaburagi	141.23	17	31	8.09	77	37	7.79	Part Village
23	Bhonasapura	Chincholi	Kalaburagi	364.13	17	30	54.23	77	38	2.53	Part Village
24	Shivarampura	Chincholi	Kalaburagi	513.39	17	30	45.13	77	39	19.53	Part Village
25	Mogadhampura	Chincholi	Kalaburagi	639.83	17	29	41.44	77	40	8.97	Part Village
26	Pochawaram	Chincholi	Kalaburagi	226.17	17	29	10.24	77	38	36.67	Part Village
27	Shivareddypalli	Chincholi	Kalaburagi	255.96	17	29	54.76	77	38	21.57	Part Village
28	Konchavaram	Chincholi	Kalaburagi	386.51	17	28	50.34	77	37	40.20	Part Village
29	Lachamsagara	Chincholi	Kalaburagi	123.6	17	29	41.38	77	37	32.20	Part Village
30	Chindhanura	Chincholi	Kalaburagi	426.92	17	28	38.96	77	35	34.55	Part Village
31	Jilawarasha	Chincholi	Kalaburagi	431.68	17	27	32.27	77	35	44.21	Part Village
32	Shadhipura	Chincholi	Kalaburagi	1613.21	17	28	2.62	77	33	16.69	Part Village
			Total:	13398.3							

TABLE B: Details of the Enclosure villages within the Eco-sensitive Zone of Chincholi Wildlife Sanctuary

Map id	Name of the enclosure	Taluk	District	Extent (Ha.)	Latitude			Longitude		
					Deg	Mins	Secs	Deg	Mins	Secs
A	Chandrampalli	Chincholi	Kalaburagi	47.71	17	31	51.10	77	29	13.43
B	Sangapur	Chincholi	Kalaburagi	9.65	17	33	37.58	77	31	57.41
C	Seribikanalli	Chincholi	Kalaburagi	25.16	17	30	29.95	77	30	33.49
D	Anthawaram-1	Chincholi	Kalaburagi	12.22	17	31	6.53	77	33	57.64
E	Anthawaram-2	Chincholi	Kalaburagi	7.39	17	30	46.26	77	33	56.10
F	Anthawaram-3	Chincholi	Kalaburagi	181.62	17	30	30.92	77	34	54.71
G	Anthawaram-4	Chincholi	Kalaburagi	17.33	17	31	6.49	77	35	25.93
H	Mombapur	Chincholi	Kalaburagi	21.58	17	30	15.88	77	36	17.59
I	Chindanoor	Chincholi	Kalaburagi	193.82	17	29	8.52	77	36	23.76
J	Lachamsagar	Chincholi	Kalaburagi	7.34	17	29	51.11	77	36	35.06
K	Magdampur	Chincholi	Kalaburagi	7.4	17	30	5.58	77	40	55.13
			Total:	531.22						

TABLE C: Details of the Reserve Forest areas within the Eco-sensitive Zone boundary.

S. No	Name of the Reserved Forest	Area in Ha	G.O/Notification Number
1	Changlair Reserve Forest	752.05	AFD/133/FAF/65 dt.18.03.1966
2	Chincholi Reserve Forest	511.76	U/S 7 of HFA
	Total	1263.81	

TABLE D: Details of the Un-classified Forest areas within the Eco-sensitive Zone boundary.

Map ID	Name of the Forest	Class of Forest	Latitude			Longitude			Area in Ha
			Deg	Mins	Secs	Deg	Mins	Secs	
a	Pochawaram	Un-classified Forest	17	32	15.42	77	30	53.30	58.86
b	Venkatapur	Un-classified Forest	17	32	9.41	77	34	7.26	708.69
c	Dharmasagar	Un-classified Forest	17	31	29.65	77	32	39.57	568.79
			Total:						1336.34

ANNEXURE –V**Eco-sensitive Zone Monitoring Committee- Performa of Action Taken Report: -**

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.
Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.